बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

पत्र संख्या 01 / स्था–07 / 2015 पटना, दिनांक सितम्बर 2015.

विषय— बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी पटना के कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मियों के मृत्यु के उपरान्त उनके किसी एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति के निमित्त नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मियों के मृत्योपरान्त उनके किसी एक आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की अबतक कोई नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निगम के मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु वर्ग–3 एवं 4 के पदों पर निति एवं प्रक्रिया अपनाई गई है। तदनुसार बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मियों के मृत्योपरान्त उनके किसी एक आश्रित को वर्ग– 3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त निति एवं प्रक्रिया अपनाई जायगी :–

1. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी पटना के कार्यरत पदाधिकारी / कर्मियों के मृत्यु के उपरान्त उनके किसी एक आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर उक्त रिक्ति के विरूद्ध एजेन्सी में गठित अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायगी।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2822 दिनांक 27.04.95 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेशानुसार वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने हेतु गठित समिति अंतिम रूप से सभी प्राप्त आवेदनों की सूची मृत्यु की तिथि के आधार पर वरीयतानुसार तैयार करेगी। तत्पश्चात् रिक्ति के अनुसार इसी सूची से नियुक्ति के लिए आवेदक का नाम वरीयतानुसार अनुशंसा करेगी।
3. (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में सभी कागजात / प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर उसे अनुकम्पा समिति के विचारार्थ रखे जाने हेतु 2 (दो) माह की समय सीमा निर्धारित की जाती है। अनुकम्पा समिति की बैठक, अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी प्रस्ताव उपलब्ध रहने पर, प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी।

   अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाण–पत्रों की जाँच सहित अन्य औपचारिकताएँ पूरी कर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु अधिकतम एक वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समय सीमा के अन्दर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकने की स्थिति में लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी की अनुमति प्राप्त कर सम्बंधित अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकेगी।

   (ख) अनुकम्पा समिति द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रख कर किया जायेगा। मैट्रिक उतीर्ण आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1800/– के लिए की जायगी और मैट्रिक से उच्चतर योग्यताधारी आश्रितों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा ग्रेड पे 1900 के लिए की जा सकेगी।

   (ग) अनुकम्पा समिति द्वारा अभ्यर्थी की जिस वर्ग / पद समूह के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी अनुशंसित वर्ग / पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अगर नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसित वर्ग / पद समूह में नियुक्ति की कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कठिनाई है, तो उनके द्वारा मामले को सभी तथ्यों के साथ अनुकम्पा समिति को भेजते हुए दुबारा विचार करने का अनुरोध किया जा सकेगा।

लेकिन अनुकम्पा समिति द्वारा दुबारा विचार करने के बाद अनुशंसित वर्ग/पद समूह पर नियुक्ति किया जाना नियुक्ति प्राधिकार के लिए अनिवार्य होगा। समिति की अनुशंसा प्रतिकूल नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सामान्यतः निर्णय लिया जा सकेगा।

(घ) एजेन्सी के मृत सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा समिति के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा एजेन्सी के मृत सेवक के सम्बंधित कार्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति किया जायेगा। अगर अनुशंसा ग्रेड पे 1900/— के पद समूह के लिए है तथा सम्बंधित कार्यालय में ग्रेड पे 1900/— का पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड पे 1800/— में नियुक्ति की जाएगी।

(ङ.) मृत सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को पारिभाषित किया जाता है :—जिसमें मृत सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा/कुछ शर्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया जाता है/सेवाकाल में मृत सेवक द्वारा सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर द्वितीय विवाह करने के सम्बंध में सुनिश्चित हो लेने के उपरान्त अनुकम्पा समिति द्वारा मृत सेवक की द्वितीय पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के सम्बंध में निर्णय लिया जा सकता है/ अविवाहित मृत सेवक के मामले में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रित माना जायगा/ इस शर्त के साथ मृत सेवक की तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना गया है कि तलाक विवाह/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एकमात्र आश्रित हो/ मृत सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, बशर्ते मृत सेवक के परिवार मे उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई न हो।

(च) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया निर्गत की तिथि से एवं पूर्व के मामले पर भी प्रभावी होंगें।

(छ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु समिति की अनुशंसा के उपरान्त कृषि उत्पादन आयुक्त–सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना के स्तर से नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(ज) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के नामित आवेदन का विहित प्रपत्र संलग्न है।

(झ) एजेन्सी में कुल स्वीकृत पदों के 5 प्रतिशत पदों के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

(ञ) एजेन्सी में मृत सेवकों के आश्रितों के वर्ग 3 एवं 4 में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

1. निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी — अध्यक्ष
2. उप निदेशक (शष्य), बीज प्रमाणन, पटना — सदस्य
3. वित्त प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम, पटना — सदस्य
4. सहायक निदेशक, बीज प्रमाणन, पटना — सदस्य सचिव

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की यह प्रक्रिया/निति शासी निकाय की दिनांक 08/09/2015 की 44वीं बैठक द्वारा अनुमोदित है।

निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना

ज्ञापांक 2434 बी0प्र0,पटना दिनांक– 28/9/2015

प्रतिलिपिः– अनुकम्पा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

पटना

ज्ञापांक 2434 बी0प्र0,पटना दिनांक– ...../.../2015

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, बीज प्रमाणन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं कुदरा/बीज प्रमाणन निरीक्षक सभी/लेखा शाखा/स्थापना शाखा/तकनीकी शाखा/भंडार शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

पटना

ज्ञापांक 2434 बी0प्र0,पटना दिनांक– 28/09/2015

प्रतिलिपिः– कृषि उत्पादन आयुक्त, सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी

पटना